रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2017/भाद्र 3, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 232
No. 327] DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2017/BHADRA 3, 1939 [N.C.T.D. No. 232

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

[कार्यालय (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त]

lfpo jktLo foHkkx }kjk ?kks'k.kk

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अगस्त, 2017

फा. सं. एल.ए.सी.(पश्चिम)/मि./2017/4160.—जबकि सरकार को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात् अवजल शोधन संयंत्र के लिए गांव टिकरी कलां ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) पंजाबी बाग़ जिला पश्चिम कि 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि की आवश्यकता है।

और जबकि, गृह मंत्रालय भारत सरकार कि अधिसूचना एस.ओ. 2740, दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गाँव टिकरी कलां तालुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) पंजाबी बाग़ जिला पश्चिम की 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि का भाग अधिग्रहण करने की घोषणा करते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं0	सर्वेक्षण सं0	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अन्तर्गत क्षेत्र (बीघा – बिस्वा)	हितधारी व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं			
						उ0	द0	पूर्व	पश्चि0
1.	74//21 (4-16)	निजी	कृषि	4 बीघा 16 बिस्वा (पूरा हिस्सा)	मेसर्स के.सीबी. बिल्डर्स & डेवलोपर्स प्रा. लि., सी-4 शिवाजी पार्क, नई दिल्ली	खसरा नं0 74//20/1-2	खसरा नं0 85//1	खसरा नं0 74//22	खसरा नं0 75//25
2.	74//22 (4-03)	निजी	कृषि	1 बीघा 15 बिस्वा (पूरा हिस्सा)	1. श्री गजेंदर सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, फ्लैट न0. 108, यंगस्टर सोसाइटी सेक्टर-06, द्वारका, नई दिल्ली	74//19/2	85//2/1, 2/2	513 रास्ता	74//21
				1 बीघा 8 बिस्वा(5/14 हिस्सा)	2. श्रीमती राज बाला पत्नी श्री सुखबीर सिंह, गांव टिकरी कलां दिल्ली				
				1 बीघा 8 बिस्वा(5/14 हिस्सा)	3. श्रीमती राज बाला पत्नी श्री राजबीर सिंह, गांव टिकरी कलां दिल्ली				
				1 बीघा 8 बिस्वा(4/14 हिस्सा)	4. श्रीमती रोशनी पत्नी श्री जगदीश, गांव टिकरी कलां दिल्ली				
				1 बीघा (पूरा हिस्सा)	5. श्रीमती रेखा पत्नी श्री मनोज कुमार, गांव रौंद, तहसील बहादुरगढ़, हरियाणा				
3.	85/2/1 (2-08)	निजी	कृषि	2 बीघा 8 बिस्वा (पूरा हिस्सा)	मेसर्स कन्हैया ट्रेडिंग & इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि., सी-42, सेक्टर-26, नोएडा उ.प्र.	74//22	1415 रास्ता	85//2/2	85/1
4.	85/2/2 (2-08)	निजी	कृषि	2 बीघा 8 बिस्वा (पूरा हिस्सा)	मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज, 2 सेंट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली	74//22	1415 रास्ता	85//3/1	85//2/1
5.	85/3/1 (1-09)	निजी	कृषि	09 बिस्वा (पूरा हिस्सा) 01 बीघा (पूरा हिस्सा)	1.मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज, 2 सेंट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली 2.मेसर्स सरस्वती इंडस्ट्रीज, वी.पी.ओ. नरसिंहपुर, जिला गुडगाँव, हरियाणा	74//22	1415 रास्ता	513 रास्ता	85//2/2

वृक्ष = 10	
किस्म	संख्या
जाटी	1
नीम	4
सहतूत	4
लासूरा	1

<kpk	
प्रकार	कुल क्षेत्रफल
शून्य	शून्य

यह घोषणा उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और **पुनः स्थापन** अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबन्धित हितधारी व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा आवश्यक जांच के उपरांत की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के कारण संभावित पुनः स्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है, जिनके लिए पुनः स्थापन क्षेत्र की पहचान की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

गांव शून्य ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) शून्य जिला पश्चिम क्षेत्र शून्य (हैक्टेयर में) ।

उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के नीचे पाई जाने वाली कोयला, आयरन स्टोन, स्लेट या अन्य खनिजों की खुदाई की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसमें खदानों और खनिजों का वह भाग शामिल नहीं है जिसको भूमि के अधिग्रहण के उद्देश्य हेतु परियोजना में निर्माण के किसी चरण के दौरान खोदने या निकालने या प्रयोग किए जाने की आवश्यकता पड़ती है ।

भूमि के योजना को भूमि अधिग्रहण समाहर्ता तथा भूमि अधिग्रहण शाखा (पश्चिम जिला), **ओल्ड मिडिल स्कूल बिल्डिंग, रामपुरा, दिल्ली-110035** के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

पुनर्वास एवं **पुनः स्थापन** स्कीम का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनीषा सक्सेना, सचिव राजस्व एवं मंडलीय आयुक्त

<u>परिशिष्ट-I पुनर्वास व पुनः स्थापना योजना (सभी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनः स्थापना के हक के तत्वों के लिए) के लिए संक्षिप्त नमूना</u>

योजना का नाम: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अपशिष्ट जल उपचार सयंत्र,गाँव टिकिरी कलां ज़िला पश्चिम, दिल्ली में स्थापना के लिए					
पुर्नवास व पुनः स्थापना का दावा करने वाले व्यक्तियो के नाम व उनके द्वारा किए गए दावो की प्राकृति: जैसे क्रमांक 4 में है।					
प्रभावित परिवारों के पुर्नवास व पुनर्व्यवस्थापन के हक के लिए दी गयी समय सीमा RFCTLARRR ACT 2013 की धारा 23 के अंतर्गत अवार्ड उद्घोशित करने की तिथि के 18 महीने के अंतर्गत					
दावेदार का नाम/प्रभावित परिवार/कंपनी	**आयु/जन्म तिथि**	**पिता/पति का नाम**	**व्यवसाय**	**पुर्नवास व पुन: स्थापना का अधिकार**	**टिप्पणी**
मेसर्स के.सीबी. बिल्डर्स & डेवलोपर्स प्रा. लि.	मान्य नहीं	मान्य नहीं	रियल एस्टेट का कारोबार	(i) विस्थापना के मामले मे रिहायशी मकान देने की व्यवस्था	लागू नहीं है क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है।
श्री गजेंदर सिंह दराल	1976	पुत्र श्री जसवंत सिंह	रियल एस्टेट का कारोबार	(ii) भूमि का आवंटन किया जाना	लागू नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण सिंचाई योजना के लिए नहीं है।
श्रीमती राज बाला		पत्नी श्री सुखबीर सिंह	सेवानिवृत शिक्षिका	(iii) विकसित भूमि देने का प्रस्ताव	लागू नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण शहरीकरण के लिए नहीं है।
श्रीमती राज बाला		पत्नी श्री राजबीर सिंह	किसान	(iv) वार्षिक भत्ता/नौकरी	संबंधित सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किये जाएं।

श्रीमती रेखा	1986	पत्नी श्री मनोज कुमार	व्यापारी		(क) प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को इस योजना के अंतर्गत अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत जैसे आवश्यकता है नौकरी देनी चाहिए। उसको नौकरी के लिए आवश्यक क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास नौकरी के लिए व धनराशि अर्जित करने, जो कि किसी विशेष कानून के अंतर्गत उस समय संचालित न्यूनतम निर्धारित मजदूरी से कम न हो योग्य बनाना।
श्रीमती रोशनी		पत्नी श्री जगदीश	किसान		
मेसर्स कन्हैया ट्रेडिंग & इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि.	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं		
मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं		(ख) प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 5 लाख रुपए का अनुदान
मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं		(ग) प्रभावित परिवार को 2,000 रुपए प्रति महीने की दर से 20 साल तक वार्षिक भत्ता प्रदान करना (जो कि वार्षिक महंगाई भत्ते के अनुसार देय की जायेगी।
मेसर्स सरस्वती इंडस्ट्रीज	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं		
				(v) प्रभावित परिवारों को जीवन निर्वाह हेतु 1 वर्ष तक निश्चित धन राशि सहायता प्रदान देना	लागू नहीं है क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है।
				(vi) विस्थापित परिवार के पुन: स्थापना के लिए परिवहन के व्यय प्रदान कराना	लागू नहीं है क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है।
				(vii) पशुओं के लिए स्थान या छोटी दुकान की लागत	लागू नहीं है क्योंकि कोई भी पशुओं के लिए स्थान या छोटी दुकान प्रभावित क्षेत्र मे नहीं है।
				(viii) किसी कलाकार, छोटे व्यापारियों व अन्य श्रेणी को एक बार अनुदान प्रदान करना	लागू नहीं क्योंकि कोई भी खेती बाड़ी के अलावा व्यवसायिक, औधोगिक संस्थानीय इमारत, प्रभावित क्षेत्र में अधिग्रहण नहीं की जा रही है।
				(ix) मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं है यह सिंचाई या हाइडल परियोजना नहीं है।

				(x) पुनः स्थापना के लिए एक बार अनुदान प्रदान करना (xi) स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क, यदि दिया है।	प्रभावित परिवारों को एक मुश्त केवल रुपए 50,000/- दिए जाएँगे यह व्यय सम्बन्धित विभाग (दिल्ली जल बोर्ड) देगा।

DEPARTMENT OF REVENUE

[Office of the Secretary (Revenue)-Cum-Divisional Commissioner]

DECLARATION BY SECRETARY, REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th August, 2017

F. No. LAC(W)/ Misc./2017/4160.—Whereas it appears to the Government that a total of 15 Bigha 04 Biswa land is required in the Village Tikri Kalan Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) Punjabi Bagh District West for public purpose, namely Waste Water Treatment Plant.

And whereas in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification S.O. No. 2740, dated the 21st October, 2014, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to declare that a piece of land measuring 15 Bigha 4 Biswa is under acquisition for the above said project in the Village Tikri Kalan Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) Punjabi Bagh District West Delhi whose detailed description is as following :—

Sl. No.	Survey No.	Type of Title	Type of land	Area under acquisition (in Bigha-Biswa)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.
1.	74/21 (4-16)	Private	Agriculture	4 Bigha 16 Biswa (full share)	M/s K.C.B.Builders & Developers Pvt. Ltd.C-4 Shivaji Park, New Delhi.	Khasra No. 74// 20/1-2	Khasra No. 85//1	Khasra No. 74//22	Khasra No. 75//25
2	74/22 (4-03)	Private	Agriculture	01 Bigha 15 Biswa (full share)	1. Sh. Gajender Singh S/o Sh. Jaswant Singh Flat No.108, Youngster Society, Sec.-06 Dwarka, New Delhi	74// 19/2	85//2/1, 2/2	513 Rasta	74//21
				01 Bigha 08 Biswa (5/14 share)	2. Smt. Rajbala W/o Sh. Sukhbir Singh, Village & Post Office Tikri Kalan, Delhi				
				01 Bigha 08 Biswa (5/14 share)	3. Smt. Rajbala W/o Sh. Rajbir Singh,Village & Post Office Tikri Kalan, Delhi				
				01 Bigha 08 Biswa (4/14 share)	4. Smt. Roshni W/o Sh. Jagdish, Village & Post Office Tikri Kalan, Delhi				

				01Bigha (full share)	5. Smt. Rekha W/o Sh. Manoj Kumar Village Round, Tehsil Bahadurgarh, Haryana				
3	85/2/1 (2-8)	Private	Agriculture	02 Bigha 08 Biswa (full share)	M/s Kanihiya Trading & Investment Co. Pvt. Ltd. C-42, Sector-26, Noida UP	74// 22	1415 Rasta	85//2/2	85/1
4	85/2/2 (2-08)	Private	Agriculture	02 Bigha 08 Biswa (full share)	M/s Surbhi Resources 2 Central Lane, Bengali Market, New Delhi	74// 22	1415 Rasta	85//3/1	85//2/1
5	85/3/1 (1-09)	Private	Agriculture	(09 Biswa) (full share) (01Bigha) (full share)	1. M/s Surbhi Resources 2 Central Lane, Bengali Market, New Delhi 2. M/s Saraswati Industries Village & Post Office Narsinghpur, Distt. Gurgaon, Haryana	74// 22	1415 Rasta	513 Rasta	85//2/2

Trees=10	
Variety	Number
Jhatti	1
Neem	4
Sehtoot	4
Lasora	1

Structures	
Type	Plinth area
Nil	Nil

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided U/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is Nil. For whom resettlement area has been identified, whose brief description is as following:—

Village Nil Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) Nil District West Area Nil (in hectares).

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector (West) and DM(West),GNCTD on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended as Appendix I.

Encl: as above

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner

Appendix-I Summary format for Rehabilitation and Resettlement Scheme (ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES)

Name of the project: Setting up of WWTP by Delhi Jal Board in Tikri Kalan, West District.

Name/Names of person interested in the land and the nature of their respective claim for Rehabilitation & Resettlement: As in Sl. No. 4

Time limit for provisions of Resettlement and Resettlement entitlements given to the affected family: Within 18 months from Date of Award u/s 23 of RFCTLARR Act 2013

Name of claimants/ affected family/Company	**Age/ DOB**	**Father's/ Husband Name**	**Occupation**	**Rehabilitation & Resettlement entitlements**	**Remarks**
M/s K.C.B Builders & Developers Pvt. Ltd.	NA	NA	Real Estate Business	I. Provision of housing units in case of displacement	NA as there is no displacement for affected family.
Sh. Gajender Singh Drall	1976	S/o Sh. Jaswant Singh Drall	Real Estate Business	II. Land to be allotted	NA as it is not an irrigation project.
Smt. Raj Bala		W/o Sh. Sukhbir Singh	Retired Teacher	III. Offer for Developed Land	NA as land is not being acquired for urbanization purpose.
Smt. Raj Bala		W/o Sh. Rajbir Singh	Farmers	IV. Annuity/ Employment	The appropriate government shall ensure that the affected families are provided with the following option:— **(a)** Job may be given to at least one member per affected family in project or arrange for a job in such other project as may be required and providing suitable training and skill development in required field or make provisions for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being enforced. **(b)** One time grant of 5 lakh rupees per affected family. **(c)** The affected family will be provided with an annuity payment of rupees 2000 per month per family for twenty years (this will be adjusted for inflation annually).
Smt. Rekha	1986	W/o Sh. Manoj Kumar	Businessman		
Smt. Roshini		W/o Sh. Jagdish	Farmers		
M/s Kanhiya Trading & Investment Co. Pvt. Ltd.	NA	NA	NA		
M/s Surbhi Resources	NA	NA	NA		

M/s Surbhi Resources	NA	NA	NA			
M/s Saraswati Industries	NA	NA	NA	V.	Subsistence grant for displaced family for period of 01 year	NA as there is no displacement for the affected families.
				VI.	Transportation cost for displaced family	NA as there is no displacement for the affected families.
				VII.	Cattle shed/ Petty shops cost	NA as there is no Cattle Shed/ Petty shop upon the land being acquired.
				VIII.	One time grant to artisan, small traders and certain others.	NA as land being acquired is not a non-agriculture land/ commercial/industrial/ institutional structure in the affected area.
				IX.	Fishing rights	NA as it is not a irrigation or hydel project.
				X.	One time resettlement allowance	Affected family shall be given one time grant of 50000/- Rupees only.
				XI.	Stamp duty and registration fees if any	To be borne by the requiring department/Body (Delhi Jal Board).

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.25 20:12:24 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.